न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024/150 दर्ज तिथिः–05.07.2024

1. रघुनाथ विश्नोई पुत्र भागीरथराम
2. सदराम पुत्र भागीरथराम
3. मिरगा देवी पत्नी भागीरथराम
   जाति विश्नोई निवासी सुनारों की बेरी,रोहिला पूर्व पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमन्ना।

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमन्ना

.........................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री हापूराम
अप्रार्थीगणः–एक तरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–07.03.2025

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की [illegible] भूमि खसरा संख्या 287/06/0.4856 है0 मौजा सुनारों की बेरी,रोहिला पूर्व पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। मूल खसरों के [illegible] विभाजन दिनांक 19.06.2015 स्वीकृत किये जाने पर विभाजन के [illegible] अंगूठा हस्ताक्षरशुदा नक्शे अनुसार प्रार्थी के हिस्से खसरा संख्या 287/6/0.4856 [illegible] आया जिसमें सहमति विभाजन अनुसार हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण दायर किया लेकिन हल्का पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:11:34 IST
Reason: SelfAttested

में भिन्नता आ गई। अतः प्रार्थी के सहमति विभाजन प्रस्ताव अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 316 दिनांक 06.02.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के मूल खसरा संख्या 287/6 की तरमीम आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंकित नहीं की गई है। तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा यथावत रहेगा तथा मौके अनुसार रेकर्ड में समानता होगी।

3. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार नवीन विभाजित खसरे की तरमीम गलत दर्शाई गई है जो परिशिष्ट 'अ' अनुसार दर्शाई गई है। नवीन विभाजित खसरे की तरमीम मौका एवं आपसी सहमति के बंटवारे में दर्शाऐ अनुसार परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने का कथन किया गया। अतः खसरा संख्या 287/6 परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार खसरा संख्या 287/6 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा यथावत रहेगा। इसलिए परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	1. विप्रार्थी संख्या 1 जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 के अनुसार दुरस्त करने में अनापती जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:11:34 IST
Reason: SelfAttested

रूगनाथ विश्नोई बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
2024 / 150
निर्णय दिनांकः–07.03.2025

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु दोनो पक्ष सहमत है तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** प्रार्थीके सहमति से विभाजन उपरान्त निर्मित खसरा संख्या 287 / 6 की वर्तमान तरमीम आपसी सहमति के विभाजन के अनुसार नहीं होने तथा भू–नक्शा में विपरीत अंकित होने से तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

7/3/2025

(भागीरथराम आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:11:34 IST
Reason: SelfAttested